कार्यालय
निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1970-1975 /जी–427/2022/2023–24 दिनांक–09 जून 2023

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/ 2017, देहरादून, दिनांक–05 जनवरी 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक–2017 प्रख्यापित किया गया है, के प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधर पर श्रेणी "ग" में निम्नलिखित पंचकर्म सहायकों (पंचकर्म टैक्नीशियन) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में उल्लिखित स्थान/चिकित्सालय से स्तम्भ–4 में उल्लिखित स्थान/चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाता है–

क्र0 सं0	पंचकर्म सहायक (पंचकर्म टैक्नीशियन) का नाम	वर्तमान तैनाती चिकित्सालय का नाम	नवीन तैनाती चिकित्सालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती संगीता नाथ	रा0आयु0चि0 नगर, उत्तरकाशी	रा0आयु0चि0 मंगलौर, हरिद्वार	जनहित–धारा 17 (1) (क)
2	श्रीमती भारती चमोली	रा0आयु0चि0 मंगलौर, हरिद्वार	रा0आयु0चि0 नगर, उत्तरकाशी	अनुरोध–धारा 17(1)(ख)(एक)
3	श्री अजय चौहान	रा0आयु0चि0 रूड़की, हरिद्वार	रा0आयु0चि0 नायल, पिथौरागढ़	जनहित–धारा 17 (1) (ग)
4	श्री राजकिशोर	रा0आयु0चि0 नायल, पिथौरागढ़	रा0आयु0चि0 रूड़की, हरिद्वार	अनुरोध–धारा 17(1)(ख)(एक)

1– सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त होकर/कार्यमुक्त होंगे। स्थानातरित कार्मिक धारा–23(12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समायान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (JOINING TIME) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।

2– स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3– स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिवस के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिसके द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया जायेगा।

(डा0 अरूण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2 जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तरकाशी/हरिद्वार/पिथौरागढ़।
3 मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिद्वार/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़।
4 सम्बन्धित पंचकर्म सहायिका (पंचकर्म टैक्नीशियन)।
5 गार्ड फाईल।

(डा0 अरूण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक

Scanned with OKEN Scanner